(151)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 3932–पीबीआर/15 विरूद्ध आदेश दिनांक 28–9–2015 पारित द्वारा कलेक्टर, जिला धार प्रकरण कमांक 03/2013–14/अपील.

—

1– शब्बीर मोहम्मद पिता गुलजार खां मृतक तर्फे वारिसान–
(क) श्रीमती सलमा बी पति स्व. शब्बीर मोहम्मद
(ख) शाहदाब खान पिता स्व. शब्बीर मोहम्मद
(ग) शहबाज खान पिता स्व. शब्बी मोहम्मद
निवासीगण इलियाना कॉलौनी, खजराना, इंदौर

2– सलीम मोहम्मद पिता गुलजार खॉ
3– शहीद मोहम्मद पिता गुलजार खॉ
4– फिरोज मोहम्मद पिता गुलजार खॉ
5– शहरबानो पति गुलजार खॉ
6– सलमा बी पिता गुलजार खॉ
7– तमन्ना बी पिता गुलजार खॉ
निवासीगण धरमपुरी
तहसील धरमपुरी जिला धार .....आवेदकगण

विरूद्ध

1– मगन पिता हरिया
2– नारायण पिता हरिया
3– खड़ग पिता हरिया
4– मुन्ना पिता हरिया
निवासीगण देगांवा
तहसील धरमपुरी जिला धार .....अनावेदकगण

श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी, अभिभाषक एवं
श्री के0के0 द्विवेदी, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री राजाराम राव, अभिभाषक, अनावेदक

———

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 14/10/17 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत कलेक्टर, जिला धार द्वारा पारित आदेश दिनांक 28–9–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, धरमपुरी जिला धार के समक्ष संहिता की धारा 190 (क) (ख) के अन्तर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गयाकि ग्राम देगांवा टप्पा धरमपुरी स्थित सर्वे कमांक 114 रकबा 5.525 हेक्टेयर एवं सर्वे कमांक 3 रकबा 2.759 हेक्टेयर उनके दादा दरयाब के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज थी, तभी से निरन्तर पीढ़ी–दर–पीढ़ी उनके पूर्वजों का नाम दर्ज होकर अनावेदकगण का नाम दर्ज है, और वे कृषि कार्य कर रहें । सितम्बर, 2008 में अनावेदकगण द्वारा रिकार्ड से खाता–खतौनी निकलवाई गई, तब उन्हें ज्ञात हुआ कि सर्वे कमांक 114/2 सर्वे कमांक 0.759 हेक्टेयर पर आवेदकगण के पिता एवं आवेदिका कमांक 5 के पति गुलजार खां ने फर्जी आदेश से अपना नाम दर्ज करा लिया है, अतः गुलजार खां का नाम निरस्त कर अनावेदकगण का नाम दर्ज किया जाये । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण के 14/अ–74/2008–09 दर्ज कर दिनांक 31–12–2013 को आदेश पारित कर प्रश्नाधीन भूमि से आवेदकगण का नाम कम कर अनावेदकगण का नाम दर्ज किये जाने का आदेश दिया गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध कलेक्टर, धार के समक्ष अपील प्रस्तुत किये जाने पर कलेक्टर द्वारा दिनांक 28–9–2015 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई । कलेक्टर के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा वर्ष 1975 में हुए नामान्तरण आदेश को निरस्त

करने में कोई भी कारण आदेश में नहीं दर्शाया गया है । यह भी कहा गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा 40 वर्ष पश्चात केवल शिकायत के आधार पर नामान्तरण निरस्त करने में विधि एवं न्याय की गम्भीर भूल की गई है । तर्क में यह भी कहा गया कि प्रश्नाधीन भूमि के सम्बन्ध में विकय संव्यवहार दिनांक 2–10–1959 के पूर्व से हुआ है, तब से आवेदकगण के पूर्वज एवं तत्पश्चात आवेदकगण प्रश्नाधीन भूमि पर कृषि कार्य कर रहे हैं, इसलिए संहिता की धारा 165 (6) लागू नहीं होती है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा बिना अभिलेख बुलाये केवल शिकायत के आधार पर नामांतरण निरस्त करने में त्रुटि की गई है, और अनुविभागीय अधिकारी के अवैधानिक आदेश की पुष्टि करने में कलेक्टर द्वारा विधि विपरीत कार्यवाही की गई है ।

4/ अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि गुलजार खां द्वारा फर्जी आदेश से प्रविष्टि कराई गई थी, अतः उक्त फर्जी प्रविष्ट को निरस्त करने में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पूर्णतः वैधानिक एवं उचित कार्यवाही की गई है, और अनुविभागीय अधिकारी के उक्त आदेश की पुष्टि करने में कलेक्टर द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान् अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के सदंर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक ने अधीनस्थ न्यायालयों के समक्ष यह कथन किया था कि मौके की जॉच नहीं हुई है, पटवारी आदि के कथन नहीं किये गये हैं । आवेदक के इस कथन का, कि विकय संव्यवहार 1959 से पूर्व का है, के संबंध में भी पर्याप्त जॉच नहीं की गई है । कलेक्टर ने भी अपने आदेश में यह उल्लेख किया है कि आवेदक ने पूर्व में प्रकरण प्रचलित होने का कोई प्रमाण पेश नहीं किया है, लेकिन उक्त प्रकरण पेश करने या अपने पक्ष में साक्ष्य पेश करने का कोई अवसर आवेदक को नहीं दिया गया है । अतः इस प्रकरण में यह विधिक एवं न्यायिक आवश्यकता है कि कलेक्टर तथा अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश निरस्त किये जाकर प्रकरण उपरोक्त निष्कर्ष के परिप्रेक्ष्य में निराकरण करने हेतु अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यावर्तित किया जाये ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर कलेक्टर, जिला धार द्वारा पारित आदेश दिनांक 28–9–2015 एवं अनुविभागीय अधिकारी, धरमपुरी जिला धार द्वारा पारित आदेश दिनांक 31–12–2013 निरस्त किया जाता है । प्रकरण उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में आदेश पारित करने हेतु अनुविभागीय अधिकारी, धरमपुरी जिला धार को प्रत्यावर्तित किया जाता है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष,
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर